कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 3842/FP/UK/ROAD/17292/2015 :देहरादून:दिनांक: 29 मई, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद–अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) से तोली तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.4046 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन फाईल नं0 FP/UK/ROAD/17292/2015)

संदर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/111/2016/एफ0सी0/1282 दिनांक 26–10–2017

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त सख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 12.8092 हे0 ग्राम–बजेला सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 32,44,980.00 (रू0 बत्तीस लाख चौवालीस हजार नौ सौ अस्सी) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–बजेला, पटवारी क्षेत्र–दारूण, उप निरीक्षक क्षेत्र–तापणी, तहसील–भनोली, जनपद–अल्मोड़ा में चिन्हित 12.8092 हे0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करा दिया गया है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–1)

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 42,07,822.00 (रू0 बयालीस लाख सात हजार आठ सौ बाईस) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेयी। इस आशय की बचनबद्वता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 74,52,802.00 के ऑन लाईन जमा की गयी रसीद की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्वत्ता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 3842 /FP/UK/ROAD/17292/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी, सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. मुख्य अभियन्ता, यू.आर.आर.डी.ए., सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई. अल्मोड़ा।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

O/c